फैसला

बिना काउंसिलिंग स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे थे पोस्टिंग

हेडमास्टर के पदस्थापना आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शिक्षक से हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति के बाद बिना काउंसिलिंग किए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से पदस्थापना आदेश जारी कर दिया है।

हेड मास्टर के पद पर पदस्थापना आदेश को चुनौती देते हुए सूरज कुमार सोनी व अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता संदीप दुबे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में विभाग के आला अधिकारियों पर हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करने के नाम पर शासन के दिशा-निर्देशों व मापदंडों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। जस्टिस गुरु ने हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीपीआइ को याचिकाकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

• प्रतीकात्मक चित्र

हाई कोर्ट का डीपीआइ को महत्वपूर्ण निर्देश

अपने फैसले में लिखा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सात फरवरी 2022 को जारी परिपत्र को ध्यान में रखते हुए, और न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों में डीपीआई के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार डीपीआई को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। तब तक शिक्षकों को हेड मास्टर के पद पर पदोन्नति आदेश के प्रभाव व संचालन पर रोक लगा दी है।

इन नियमों के तहत की जानी थी पोस्टिंग

- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संदीप दुबे ने शासन के दिशा-निर्देशों व मापदंडों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि हेड मास्टर के पद पर पदस्थापना के लिए शासन ने नियम बनाए हैं। इसके अनुसार
- यदि हेडमास्टर का पद उसी स्कूल में रिक्त है, जहां वे वर्तमान में सहायक शिक्षक के रूप में तैनात हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उसी संस्थान में पदस्थापित किया जाना चाहिए।
- यदि पद एक ही ब्लाक में हैं तो उन्हें उसी ब्लाक में पदस्थापित किया जाना चाहिए। यदि ब्लाक में कोई पद रिक्त नहीं है तब ऐसी स्थिति में उन्हें जिले के भीतर और यदि जिले में कोई पद रिक्त नहीं है तब उन्हें नजदीकी जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिए। 27 दिसंबर 2024 को पदोन्नति आदेश जारी होने के समय याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक (एलबी) के पद पर तैनात थे और उनके संबंधित विद्यालयों में हेड मास्टर के पद रिक्त हैं, फिर भी याचिकाकर्ताओं को अन्य स्थानों पर पोस्टिंग दी गई है।

SCAN AnyScanner